



[2025:RJ-JP:45811]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11729/2025

Manish Sharma S/o Mohan Lal Sharma, Aged About 39 Years, R/o Ward No. 04, Dheelo Ki Dhani Bansa, Police Station Samod, District Jaipur (At Present in Central Jail Jaipur)

----Petitioner

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12160/2025

Ejaj Ahmad Bagwan S/o Shri Rajjak Ahmad Bagwan, Aged About 30 Years, R/o Village Dantli, PS Andhi, District Jaipur (Raj.) (At Present Confined in Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13162/2025

Harish Dagdi S/o Shri Lalchand Dagdi, Aged About 33 Years, R/o Chawni Near Railway Phatak, Doctor Sajjan Colony, Behind Captain School, Dungri Road, District Bewar, Rajasthan. (Presently Accused Confined in Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13589/2025

Hansraj Godara S/o Shri Sankar Ram, Aged About 27 Years, R/o Village Godhara Ki Thani, Gulabpura Thana Thavala District Naguar (Rajasthan) (Presently The Accused Applicant is Confined in Central Jai, Jaipur Since 16.09.2025).

----Petitioner



[2025:RJ-JP:45811]

(2 of 7)

[CRLMB-11729/2025]

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13794/2025

1. Shravan Kumar Gurjar S/o Shri Kajodmal Gurjar, Aged About 30 Years, R/o Nada Wali Dhani, Mamtori Khurd, PS Manoharpur, Distt. Jaipur (Raj.) (Present Confined in Central Jail, Jaipur)
2. Ved Prakash Khatana S/o Shri Bharat Singh Khatana, Aged About 33 Years, R/o Village Badagau, PS Nadoti, Distt. Karauli (Raj.) (Present Confined in Central Jail Jaipur)

-----Petitioners

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Siya Ram Sharma, Adv. Ms. Gayatri Sharma, Adv. Mr. Dinesh Jat, Adv. Ms. Nisha Shekhawat, Adv. Mr. Mohar Pal Meena, Adv. Ms. Meenakshi Pareek, Adv. Mr. Pallav Sharma, Adv. Mr. Pankaj Kumar, Adv. Mr. Sanjeev Kumar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP with Mr. Shubham Kumar Sain, AAAG Mr. Karan Sharma, DCP (North Jaipur) Mr. Himmant Singh (CI) SHO, Shastri Nagar Mr. Mahendra Singh (CI) SHO, Shiprapath, Mansarovar

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

RESERVED ON : **11/11/2025**

PRONOUNCED ON : **14/11/2025**

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत



पुलिस थाना शास्त्री नगर, जिला जयपुर शहर (उत्तर) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 126/2024 अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया है।

चूंकि उक्त पांचों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह बात स्पष्ट होती है कि अनुसंधान के दौरान रिकॉर्ड पर आए साक्ष्यों से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी भा.दं.सं. के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने न तो कोई जाली दस्तावेज तैयार किया और न ही किसी भी जाली दस्तावेज का कोई लाभ नहीं लिया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा किया गया अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्कों के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया।

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध यह आरोप है कि उनके द्वारा भिन्न-भिन्न बोर्ड की हाई स्कूल की फर्जी व



कूटरचित अंकतालिका बनाकर ना ही सिर्फ राजस्थान ग्रामीण डाक विभाग में भर्ती होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन किया गया अपितु मेरिट के आधार पर, सफलता प्राप्त कर उक्त पदों पर चयनित भी हो गये।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि दिनांक 27.01.2023 को कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, राजस्थान परिमंडल, जयपुर के द्वारा ग्रामीण डाक सेवाओं के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई, जिसका परिणाम मार्च 2023 में घोषित किया गया। उक्त परीक्षा में प्रार्थी/अभियुक्त मनीष शर्मा के द्वारा 98.8% अंक प्राप्त कर सफलता पाई गई तथा उसका चयन शेड्यूल-1 (2023) में ग्रामीण डाक सेवा, शाखा डाकपाल लालवास लेख कार्यालय जमवारामगढ़ उपडाकघर के पद पर हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा उक्त कार्यालय में दिनांक 10.04.2023 को उपस्थित होकर मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल, भोपाल की हाईस्कूल की अंकतालिका जमा करवाई गई, जिसका सत्यापन संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से नहीं हो पाया। इस कारण उक्त अंकतालिका दिनांक 05.06.2023 को सत्यापन हेतु सहायक निर्देशक (भर्ती), कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, राजस्थान परिमंडल को भेजी गई। दिनांक 24.07.2023 की अंकतालिका की सत्यापित रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की उक्त अंकतालिका को फर्जी होना बताया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त इजाज अहमद बगवान 98.8% अंक प्राप्त कर शेड्यूल-1 (2023) में ग्रामीण डाक सेवक सहायक शाखा डाकपाल तलबा बिहाजर लेखा कार्यालय मैड उपडाकघर के पद पर चयनित हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा दिनांक 10.04.2023 को उक्त कार्यालय में उपस्थित होकर मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल, भोपाल की हाईस्कूल की अंकतालिका जमा करवाई गई, परंतु उक्त अंकतालिका का सत्यापन संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से नहीं हो पाया जिसके कारण उक्त अंकतालिका दिनांक



05.06.2023 को सत्यापन हेतु सहायक निर्देशक (भर्ती), कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, राजस्थान परिमंडल को भेजी गई। दिनांक 24.07.2023 की अंकतालिका की सत्यापित रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की उक्त अंकतालिका को फर्जी होना बताया गया है।

इसी प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त हरीश दगड़ी उक्त परीक्षा में 98.8571% अंक प्राप्त कर शेड्यूल-1 (2023) में ग्रामीण डाक सेवा शाखा डाकपाल कुटी मरियादा लेखा कार्यालय सिकंदरा उपडाकघर के पद पर चयनित हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त ने दिनांक 13.04.2023 को उक्त कार्यालय में उपस्थित होकर महर्षि पतंजलि संस्कृत, भोपाल की हाई स्कूल की अंकतालिका जमा करवाई, जिसका सत्यापन संबंधित बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं हो पाया, जिसके चलते दिनांक 05.06.2023 को उक्त अंकतालिका सत्यापन हेतु सहायक निर्देशक (भर्ती), कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, राजस्थान परिमंडल को भेजी गई। दिनांक 25.07.2023 की अंकतालिका की सत्यापित रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की उक्त अंकतालिका को फर्जी होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त हरीश दगदी के विरुद्ध वर्ष 2022 में एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त हंसराज गोदारा उक्त परीक्षा में 98.8333% अंक प्राप्त कर शेड्यूल-1 (2023) में ग्रामीण डाक सेवा शाखा डाकपाल छारदा लेखा कार्यालय नांगल राजवतन उपडाकघर के पद पर चयनित हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त ने दिनांक 18.05.2023 को उक्त कार्यालय में उपस्थित होकर महर्षि पतंजलि संस्कृत, भोपाल की हाईस्कूल की अंतलिका जमा करवाई जिसका सत्यापन संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से नहीं हो पाया। जिसके चलते दिनांक 05.06.2023 को उक्त अंकतालिका को सत्यापन हेतु सहायक निर्देशक (भर्ती), कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, राजस्थान परिमंडल को भेजी गई।



दिनांक 25.07.2023 की अंकतालिका की सत्यापित रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की उक्त अंकतालिका फर्जी होना बताया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त श्रवण कुमार गुर्जर उक्त परीक्षा में 98.8% अंक प्राप्त कर शेड्यूल 1 (2023) में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर चाकसू उपडाकघर पर चयनित हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त ने दिनांक 18.05.2023 को उक्त कार्यालय में उपस्थित होकर मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल, भोपाल की हाईस्कूल की अंकतालिका जमा करवाई जिसका सत्यापन संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से नहीं हो पाया। जिसके चलते दिनांक 05.06.2023 को उक्त अंकतालिका सत्यापन हेतु सहायक निर्देशक (भर्ती), कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, राजस्थान परिमंडल को भेजी गई। दिनांक 24.07.2023 की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की उक्त अंकतालिका को फर्जी होना बताया गया है।

चूंकि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की हाई स्कूल की अंकतालिका को संबंधित बोर्ड/विद्यालय की सत्यापित रिपोर्ट में फर्जी बताया गया था, इस कारण प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को विभाग में उक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने फर्जी अंकतालिकाओं के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने का व अनुचित लाभ प्राप्त करने का गंभीर आपराधिक कृत्य किया है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण दोषों पर टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1. मनीष शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा 2. इजाज अहमद बागवान पुत्र रज्जाक अहमद 3. हरीश दगदी पुत्र लालचंद दगदी 4. हंसराज गोदारा पुत्र शंकर राम 5. श्रवण कुमार गुर्जर पुत्र कजोड़मल



[2025:RJ-JP:45811]

(7 of 7)

[CRLMB-11729/2025]

गुर्जर 6. वेदप्रकाश खटाना पुत्र भरत सिंह खटाना की ओर से प्रस्तुत उक्त सभी जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाते हैं।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /11-15 (S)